न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 58 / 2020 दायरा दिनांक : 21.09.2020

उनवान

प्रेम बिहारी पुत्र रामनारायण, उम्र 50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालारेवा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– कंचनबाई पुत्री श्री मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम ठीकरिया, हाल निवास ग्राम भीमखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, खानपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक श्री रघुवीर गौड अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक :05.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 724 / दावा / 2016 (मि0नं0 1162 / दावा / 2015) निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम ठीकरिया, तहसील खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2066–69 की खतौनी संख्या 49 की खसरा नम्बर 166 रकबा 4.08 बीघा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 कंचनबाई के नाम दर्ज है। पूर्व में यह आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता मांगीलाल पुत्र भंवरिया के नाम दर्ज थी, जिसकी मृत्यु आज से करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुकी है । प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता मांगीलाल की मृत्यु होने के बाद भी इसका फौती इंतकाल प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज नहीं हुआ था और प्रतिवादी नम्बर 1 को रूपयों की आवश्यकता होने से दिनांक 13.04.2012 को वादी से अपने पिता के खाते की आराजी के बेचान की रकम 360000/– रूपये प्राप्त कर इकरारनामा वादी के पक्ष में लिखवाया गया और उसमें प्रतिवादी द्वारा यह इकरार किया गया कि आज दिनांक को मैने बेचान की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा केता को संभला दिया है और इस बेचान बाबत मेरे वारिसान को कोई ऐतराज नहीं होगा और इस आराजी पर अभी तक मेरे पिता का नाम चला आ रहा है, जैसे ही मेरे नाम फौती इंतकाल दर्ज हो जायेगा मैं केता वादी के नाम बैनामा की रजिस्ट्री करवा दूंगी। उक्त इकरारनामें के आधार पर वादी खरीदशुदा आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का अधिकारी है । अब आराजी प्रतिवादी के खाते दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी के मन में बदयान्ति आ गई है और यह किसी अन्य व्यक्ति को इस आराजी को बेचान करने पर तत्पर है । यदि इसने मेरी कयशुदा आराजी का बेचान कर दिया तो वादी को अपूरर्णीयक्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं होगी। ऐसे में प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी फरमाया जावे और वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 4.08 बीघा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे। साथ ही

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को कहीं रहन, बेचान, अन्तरण नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेंट ने वाद पत्र का जवाब भी पेश नहीं किया है, न उसकी कोई ऐसी आपत्ति थी कि वाद पोषणीय नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट का वाद स्थाई निषेधाज्ञा के लिए तो डिक्री किया जाना था क्योंकि अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी पर वैध कब्जा था। वाद खारिज होने के पश्चात रेस्पोडेंट अपीलांट को गैर कानूनी रूप से बेदखल कर सकती है जबकि उसने जमीन के बेचान का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके आराजी पर अपीलांट को कब्जा दे दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी अपीलांट काफी वृद्ध व्यक्ति है तथा बीमारी से पीड़ित है व चलने फिरने में असमर्थ है व अपील पेश करने के लिए अपने एडवोकेट से भी सम्पर्क नहीं कर सका, जब प्रार्थी अपीलांट की तबियत थोड़ी ठीक हुई तो लाकडाउन लग गया । वकीलों ने न्यायालय में जाना बन्द कर दिया तथा न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो सकी। इसलिए प्रार्थी अपीलांट अपील समय पर पेश नहीं कर सका। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट प्रेम बिहारी ने स्टाम्प दिनांक 11.04.2012 एवं इकरारनामा दिनांक 13.04.2012 को कंचनबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ठीकरिया हा0 मु0 भीमखेडा द्वारा प्रेमबिहारी पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी कालारेवा तहसील खानपुर के पक्ष में 100/- रूपये के स्टॉम्प पर अंकित इकरारनामा विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम ठीकरिया की आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 4.08 बीघे का खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा चाहने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

प्रेम बिहारी पुत्र रामनारायण, उम्र 50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालारेवा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ ....**अपीलान्ट्स**	**बनाम**	1– कंचनबाई पुत्री श्री मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम ठीकरिया, हाल निवास ग्राम भीमखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ 2– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, खानपुर .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **58/2020** एवं
मु.द.नं0 **724/दावा/2016 (मि0नं0 1162/दावा/2015)**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **07.11.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26** माह **07** सन् **2022**

हाजरी **श्री रघुवीर गौड़** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.11.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **05** माह **08** सन् **2022** को जारी किया गया ।

5/8/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ मोहर